निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कलमोदिया
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :– 131 / 2017 दावा
दायरा दिनांक :– 12.06.2017
निर्णय दिनांक :– 22.06.2017

उनवान

देवा पुत्र अमरा जाति लोधा निवासी काल्पाजागीर तहसील छीपाबडौद

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 22.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 158 रकवा 03 बीघा 14 विस्वा, मौजा काल्पाजागीर में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजियात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 09.06.2017 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 09.06.2017 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम काल्पाजागीर संवत 2072–75 खाता संख्या 82 पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कलमोदिया पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम काल्पाजागीर संवत 2072–75 के ख0नं0 158 रकवा 03 बीघा 14 विस्वा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादी अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कलमोदिया पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम काल्पाजागीर के ख0नं0 158 रकवा 03 बीघा 14 विस्वा, का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner